

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-08 दिसम्बर 2020

सेवा में,

Sri Prabhakar Singh,
Sona Devi University,
S.D. Singh Construction Compnay,
3rd Floor, Gajraj Mansion, Diagonal Road Bistupur.

विषय:- मौजा-किताडीह, प्लॉट नं0-1751,1752, खाता नं0-315, वार्ड नं0-00, थाना-घाटशीला, जिला-पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित Sona Devi University घाटशीला पूर्वी सिंहभूम शैक्षणिक भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

उपर्युक्त विषय आपके द्वारा समर्पित ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित शैक्षणिक भवन स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, बहरागोड़ा से कराई गई। उन्होंने अपने ज्ञापांक-331 दिनांक-13.11.2020 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित Sona Devi University घाटशीला पूर्वी सिंहभूम शैक्षणिक भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित शैक्षणिक भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित भवनों में कम से कम 25,000 लीटर क्षमता वाले एक अदद ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. शैक्षणिक भवन के दोनों स्टेयर केश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक-एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. शैक्षणिक भवन के सामनेवाले भाग में कम से कम दो-दो अदद यार्ड हाईड्रैण्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं दो-दो अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. 450 Lpm क्षमता का एक-एक टेरेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
6. 1620 Lpm क्षमता का एक बेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
7. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
8. सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
9. शैक्षणिक भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
10. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
11. शैक्षणिक भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
12. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
13. शैक्षणिक भवन में Manually Operated Electrical Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
14. शैक्षणिक भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

15. शैक्षणिक भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
16. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
17. शैक्षणिक भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
18. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

BANDHU ORAON

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL
AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON,
serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec9
cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002,
2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb517
b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2020.12.08 14:07:46 +05'30'

(बन्धु उराँव)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी
झारखण्ड, राँची।